भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1052

बुधवार, 28 जुलाई, 2021 / 06 श्रावण, 1943 (शक)

प्रवासी और असंगठित कामगारों संबंधी डेटाबेस

1052. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री कुमार केतकर:
श्री आनन्द शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने प्रवासी और असंगठित कामगारों संबंधी राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) डेटाबेस को जून, 2021 की प्रारंभिक समय-सीमा में पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं;
(घ) डेटाबेस के कार्यशील होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(ड.) क्या यह डेटाबेस सार्वजनिक रूप से सुलभ होगा; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय कल्याण योजनाओं के लाभों की प्रदायगी से संबंधित विभिन्न चुनौतियों एवं समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से सन्निर्माण कामगारों, प्रवासी कामगारों, गिग एवं प्लेटफार्म कामगारों, गली में फेरी लगाने वालों, घरेलू कामगारों, कृषि कामगारों, प्रवासी कामगारों तथा उनके जैसे अन्य असंगठित कामगारों के अन्य समूहों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए आधार से संबद्ध असंगठित कामगारों के लिए व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु एक मॉड्यूल/पोर्टल विकसित कर रहा है। वर्तमान में, पूर्वाभ्यास तथा सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया जारी है। इस परियोजना में पंजीकरण कार्य अगस्त, 2021 तक प्रारंभ होने की संभावना है। राज्य सरकारों को असंगठित कामगारों को एकजुट करके पोर्टल पर उनका डाटा उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल सभी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा, जहां पर कामगार अपने आधार और मोबाइल नं. के माध्यम से अपना नामांकन कर सकते हैं। अपने 4 लाख से अधिक केन्द्रों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) तथा डाक विभाग के चयनित डाक घर पंजीकरण केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे, जहां कामगार जाकर अपने आप को नि:शुल्क पंजीकृत करा सकते हैं।

****